भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3327

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि और एनपीएस

3327. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का है, जैसाकि वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन के रूप में मात्र एक हजार रुपये का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी वृद्धि की जाएगी और ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है;

(ग) सरकार के पास भविष्य निधि और पेंशन के रूप में जमा की गई ऐसी कुल राशि कितनी है जिस पर कर्मचारियों द्वारा कोई दावा नहीं किया गया है;

(घ) क्या सरकार की योजना कर्मचारियों को वह राशि लौटाने की है;

(ड.) क्या सरकार का विचार भविष्य में पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता देने का है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को एनपीएस के अंतर्गत शामिल करने संबंधी मानदंडों में ढील देने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक स्व-वित्तपोषित योजना है जिसमें नियोक्ता वेतन के @ 8.33 प्रतिशत और केंद्र सरकार द्वारा वेतन के 1.16 प्रतिशत का अंशदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत सभी लाभों का भुगतान इस संचयी निधि में से किया जाता है। निधि का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और अतिरिक्त राहत का भुगतान तब किया जाता है यदि निधि से ऐसा करने की स्थिति हो। केंद्र सरकार ने व्यापक मांग को ध्यान में रखते हुए बजटीय सहायता प्रदान करके न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दिया है, हालांकि इस तरह के बजटीय समर्थन के लिए योजना में कोई प्रावधान नहीं है।

जारी..2/-

(ग): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में कोई भी बिना दावे वाले खाते नहीं है। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 72(6) के अनुसार कतिपय खातों को निष्क्रिय खातों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ऐसे सभी निष्क्रिय खातों के निश्चित दावेदार हैं और जब कभी ऐसा कोई सदस्य ईपीएफओ में दावा करता है तो जांच के बाद उसका निपटान किया जाता है।

दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि के तहत निष्क्रिय खातों में रखी कुल राशि 8,505.23 करोड़ रुपये है।

(घ): पिछले 3 वर्षों में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निष्क्रिय खातों के 7,576 करोड़ रुपए की राशि के सदस्यों के दावों का निपटान किया है।

(ड.) और (च): ईपीएस, 1995 के अंतर्गत कामगारों की मासिक पेंशन को जीवनयापन लागत सूचकांक के साथ जोड़ने की मांग पर ईपीएस, 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए वर्ष 2018 में केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति द्वारा विचार किया गया था और कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 जैसी स्व-वित्त पोषित योजना के मामले में इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया था।

(छ) और (ज): कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 16 के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाला कोई भी प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) सहित प्रवृत्त किसी अन्य योजना का विकल्प चुन सकता है।

*****